

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2047]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938

No. 2047]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

का.आ. 2726(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 का उप-वाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय को, उक्त निगमों से प्राप्त होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए अधिसूचित करती है :
नामत: :-

- (क) कौशल विकास हेतु संगठन में निवेश से प्राप्त होने वाले दीर्घावधि पूंजी लाभ;
- (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित कौशल विकास उपक्रम से लाभांश व रायल्टी ;
- (ग) कौशल विकास के लिए संस्थानों को दिए गए कर्ज पर ब्याज ;
- (घ) बैंकों में सावधि जमा निवेशों पर अर्जित ब्याज;
- (ङ) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम;

(क) किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष पर लागू हो गई है और वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 पर लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 71/2016, फा.सं. 196/39/2015-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक